# भारत में समान नागरिक संहिता (एक समीक्षात्मक अध्ययन)

**दीपक राणा**
*शोधार्थी*
*राजनीति विज्ञान विभाग*
*मेरठ कॉलिज, मेरठ*
*ईमेलः deepakrupakrana@gmail.com*

***सारांश***

*समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफार्म सिविल कोड वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। समान नागरिक संहिता से तात्पर्य एक ऐसे कानून से है जो सभी वर्गों के लोगों पर समान रुप से लागू होता हो। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो सेक्यूलर कानून का अलग–अलग पंथ के लिए अलग–अलग सिविल कानून का ना होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। वर्तमान समय से देखा जाये तो विभिन्न संप्रदायों में विवाह, तलाक, भरण–पोषण, विरासत या फिर गोद लेना आदि के लिए के लिए अलग–अलग नियम एवं कानून उनके अपने व्यक्तिगत कानून के तहत निर्धारित होते हैं, जो कहीं न कहीं हमारे समाज में सामजिक असमानता और भेदभाव को दर्शाता है। आज यही कारण है कि देश में रुढ़िवादी और प्रथागत कानूनों को समाप्त कर सभी के लिए एक समान कानूनों का निर्माण करने की मांग जोर–शोर से उठ रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में हम समान नागरिक संहिता को व्यापक अर्थों में समझने का प्रयास करेगे कि यह क्या है, यह समाज के लिए क्यों आवश्यक है तथा समाज पर इसके क्या प्रभाव होगें।*

***मुख्य बिन्दु***

*समान नागरिक संहिता, व्यक्तिगत कानून, अनुच्छेद–44, विवाह, विरासत।*

Reference to this paper should be made as follows:

**Received: 29.07.2023**
**Approved: 26.09.2023**

**दीपक राणा**

*भारत में समान नागरिक संहिता (एक समीक्षात्मक अध्ययन)*

*RJPP Apr.23-Sep.23,*
*Vol. XXI, No. II,*

*PP. 270-275*
*Article No. 37*

***Online available at:***
*https://anubooks.com/journal/rjpp*

**सैद्धांतिक विश्लेषण**

भारत एक बहु–धार्मिक और बहु–भाषाओं वाला देश है। यह विविधताओं से भरा राष्ट्र है जहाँ लोगों की अपनी अलग संस्कृति, अलग परम्पराएं, रीति–रिवाज तथा अपने व्यक्तिगत कानून जैसे हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू दत्तक ग्रहण अधिनियम, हिन्दू संरक्षकता अधिनियम तथा मुस्लिमों एवं ईसाइयों के अपने–अपने व्यक्तिगत कानून है जिनसे वे शासित होते है। अलग–अलग धर्मों की अलग–अलग संहिताएं और व्यक्तिगत कानून होने के कारण धर्म के आधार पर न्याय वितरित करना कभी–कभी काफी चुनौतीपूर्ण एवं सामाजिक असमानता को प्रदर्शित करता है यही कारण है कि आज समान नागरिक संहिता को देश में लागू करने की भावना जोर पकड़ती जा रही है। सरल शब्दों में समान नागरिक संहिता के अर्थ की बात की जाये तो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का निर्माण करना तथा उनके धर्म, लिंग और यौन अभिरुचि की परवाह किये बगैर एक समान रूप से उन्हें लागू करना है।

ऐसा नहीं कि समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति हाल ही के समाज की उपज है, इसकी शुरूआत तो ब्रिटिश काल में ही हो गयी थी। औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सन् 1835 में एक रिपोर्ट पेश की गयी जिसके तहत अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता लाने का आवाहन किया गया था। हालॉकि कुछ वर्ष पश्चात् सन् 1840 में लेक्स लोकी द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें यह प्रावधान किया गया की हिन्दुओं और मुस्लमानों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताकरण से बाहर रखा जायेगा। समान नागरिक संहिता की बात की जाये तो भारत के संविधान में भाग–4 के अन्तर्गत अनुच्छेद 44 के तहत भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन यह हमारी विडम्बना है कि संविधान के अनुच्छेद–44 में उल्लेखित होने के उपरान्त भी एक समान नागरिक संहिता को आज भी भारत में लागू नहीं किया जा सका है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात का संज्ञान लेते हुये कहा था कि भारत के लिए समान नागरिक संहिता आज परम आवश्यक है। विभिन्न समुदायों के लिए अलग–अलग कानून आज स्वीकार नहीं किये जा सकते है और अगर हम उन्हें यूँ ही स्वीकार करते रहेंगे तो हर धर्म यह मांग करेगा की उसके व्यक्तिगत मुददों का निपटारा उसके व्यक्तिगत कानून के तहत हो जो कि न्यायसंगत नहीं है।

न्यायामूर्ति वाई.वी चन्द्रचूड़ ने शाह बानो केस 1985 के मामले मे कहा कि धार्मिक स्वतन्त्रता हमारी संस्कृति की नींव है, लेकिन जो रीति मनुष्य की मर्यादा एवं मानवाधिकार का उल्ल्घंन करती है, वो स्वतन्त्रता नहीं उत्पीड़न है, इसलिए उत्पीड़ितो की रक्षा एवं राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है। वर्तमान में गोवा, भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन सही मायने में यह वहाँ सही रूप में नहीं है। गोवा में समान नागरिक संहिता पुर्तगाली शासन की देन है। 1961 में पुर्तगालियों से गोवा के मुक्त होने के उपरान्त भी इस कानून में वहाँ अभी तक कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है।

1947 में जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था तब प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा०बी.आर. अम्बेडकर जी ने समान नागरिक संहिता के निमार्ण की वकालत की, लेकिन इसे

लेकर यह भी कहा की यह भारत के संविधान के अनुच्छेद–25 के तहत धर्म के अधिकार का उल्ल्घंन करेगी। हांलाकि संविधान के अनुच्छेद–25 के तहत गारन्टीकृत धर्म की स्वतन्त्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि लोग अपने व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित हो। मौलिक अधिकार सम्पूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता की अवधारणा को लागू करने में कहीं भी बाधा नहीं है। समान नागरिक संहिता निश्चित रूप से भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का निमार्ण करने में सहायक होगी। आज आधुनिक युग है और यह धर्म, वर्ग, जाति, लिंग आदि के आधार पर पक्षपात करने का समय नहीं है। आज आवश्यकता है भेदभावपूर्ण भावना का परित्याग कर एकीकृत राष्ट्र की अवधारणा को पोशित किया जाये। निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता पूरे परिदृश्य को एकरूपता के साथ बदलने के बारे में है। हमें इसकी महत्ता को समझना होगा तथा इसके बारे में जो भ्रांतियां फैलायी जा रही है, उनसे परे हट देश हित में इसे लागू करने पर बल देना होगा।

**समान नागरिक संहिता के बारे में भ्रांतियां**

समान नागरिक संहिता को लेकर समाज में आज अनेकों भ्रांतियां फैलायी जा रही है। भ्रांतियों को फैलाने में कुछ राजनीतिक दलों की भूमिका तो है ही कथित बुद्धिजीवियों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। आज राजनेताओं ने ऐसा मिथक बनाया है कि समान नागरिक संहिता समाज के अल्पसंख्यक वर्गों के हितोनुरूप नहीं है यह उनका दमन करेगी। आज वोट बैंक की राजनीति के कारण कुछ राजनीतिक दलों द्वारा समान नागरिक संहिता को एक बुरे चेहरे के रूप में समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता कहीं पर भी धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं करती है, अनुच्छेद–44 इस अवधारणा पर आधारित है कि धर्म और कानून के बीच कोई आवश्यक सबंध नहीं है। समान नागरिक संहिता के माध्यम से विवाह उत्तराधिकार और तलाक से संबंधित कानूनों में एकरूपता लायी जायेगी। यदि यह संहिता किसी वर्ग के हितों के अनुरूप होती तो स्वयं माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत में इसे लागू करने की पहल ना करता। समान नागरिक संहिता को लेकर संकीर्ण राजनीतिक कारणों से जो भ्रम लोगों में फैलाया जा रहा है, आज उसका प्रतिकर करने की आवश्यकता है। लोगों को यह समझना होगा कि वे इसके महत्व को समझे यह किसी धर्म विशेष के विरूद्ध नहीं है। यह तो वास्तव में विशेष रूप से महिला अधिकारों की संरक्षक है और इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

**समान नागरिक संहिता के लाभ**

भारतीय संविधान का अनुच्छेद–44 समान नागरिक संहिता को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य की मानता है। लेकिन शादी, तलाक, विरासत और संपत्ति पर अधिकार आदि विषय समवर्ती सूची में आते है, इसलिए केन्द्र एवं राज्य दोनों की सरकारे इन पर कानून का निर्माण कर सकती है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के पीछे अनेको तर्क दिये जाते है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं की यह आज समाज हितोपयोगी है और इसके लागू होने से समाज को निश्चित रूप से लाभ होगा। यहाँ हम ऐसे की कुछ प्रमुख लाभों की चर्चा करेंगे जो समान नागरिक संहिता के लागू होने पर लोगों को मिल सकते हैं :–

- **लैंगिक असामनता का समाप्त करना :–** भारतीय आबादी में लगभग आधी हिस्सेदारी के साथ महिलाएँ लैंगिक रुप से न्यायपूर्ण संहिता की मांग करती रही ताकि वो भी समानता एंव न्याय का उपभोग कर सके, चाहे वो किसी भी समुदाय से सबंधित हो। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी उन्हें वो न्याय नहीं मिल पाये हैं जिसकी वो हकदार है। निश्चित रुप से समान नागरिक संहिता के लागू होने से महिलाओं की लैंगिक असानता से जुड़े विभिन्न मुद्दों का समाधान हो पायेगा।
- **सामाजिक बदलाव :–** समान नागरिक संहिता सामाजिक परिवर्तन की नियामक बनेगी। समान नागरिक संहिता के परिणाम स्वरुप विभिन्न धर्मों एवं वर्गों के व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर एक समान कानून लागू किया जायेगा। महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को प्रमुखता दी जायेगी तथा सामाजिक स्तर पर व्याप्त भेदभाव को समाप्त किया जायेगा जो सामाजिक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- **पितृसत्तात्मक मानसिकता से ऊपर उठाना :–** वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो भारत में अधिकांश धर्मो के व्यक्तिगत कानून समाज के उच्चवर्गीय पितृसत्तात्मक अवधारणाओं पर आधारित है। निश्चित रुप से समान नागरिक संहित के लागू होने से सभी कानूनों में एकरुपता आयेगी परिणामस्वरुप पितृसत्तात्मक रुढ़िवादिता को समाप्त किया जा सकेगा और महिलाओं व पुरुषों के मध्य व्याप्त असामनता के स्तर को समाप्त कर दिया जायेगा।
- **न्यायिक प्रक्रिया के लिए सुविधाजनक :–** आज देश में विवाह, विरासत व उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों पर अलग–अलग धर्मों के अपने–अपने व्यक्तिगत कानून है जिनके परिणामस्वरूप न्यायिक प्रणाली में जटिलता और विरोधाभास की स्थिति बनी रहती है। समान नागरिक संहिता के लागू होने पर व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न होने वाली विसंगतियों और कमियों को दूर करके नागरिक और आपराधिक कानूनों मे सांमजस्य स्थापित किया जायेगा परिणामस्वरूप न्यायिक प्रक्रिया आसानी से लोगों को सुलभ हो सकेगी।
- **राष्ट्रीय एकता का सर्मथन :–** समान नागरिक संहिता के लागू होने से राष्ट्र को एकीकष्त करने में मद्द मिलेगी क्योंकि भारत मे विविध सांस्कृतिक मूल्य, रीति–रिवाज और प्रथाएं है। राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने के लिए हमें एकीकृत कानून की आवश्यकता है, जो विभिन्न धर्म, जाति, पंथ, समुदाय में व्याप्त भेदभाव पूर्ण कानूनों को समाप्त कर सकें और इस कार्य को करने में समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से समर्थ है।

**समान नागरिक संहिता के नुकसान**

जहाँ एक और समान नागरिक संहिता के लागू होने पर इसके अनेकों फायदो के विषयों पर चर्चा की जाती है तो वहीं दूसरी और कुछ लोग इसके नकारात्मक पहलूओं पर भी बात करते है। हम यहाँ कुछ ऐसे ही इसके नकारात्मक पहलूओं का उल्लेख करेंगे जो समान नागरिक संहिता के लागू होने से उत्पन्न होगें :–

- **विविधता के कारण व्यवहारिक कठिनाईयाँ :–** भारत के अलग–अलग राज्यों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। ऐसे में विवाह जैसे व्यक्तिगत विषयों पर सभी के लिए एक समान नियमों को मानना व्यवहारिक रूप से कठिन प्रतीत होता है। भारत जैसे विविधताओं से पूर्ण देश में समरूपता का होना विभिन्न संस्कृतियों की मान्यताओं और निरन्तरता को समाप्त कर देगा। अभी तो यह विषय धरातल पर भी नहीं उतरा है लेकिन विभिन्न धर्मों के मध्य मतभेद उभर कर सामने आने लगे हैं। यह इसको लागू करने का उचित समय नहीं है। अगर हम अभी इसे लागू करते है तो राष्ट्र में यह सिर्फ अराजकता और लड़ाई को जन्म देगा।
- **मौलिक अधिकार का हनन :–** समान नागरिक संहिता को धार्मिक स्वतन्त्रता के तहत मिले मौलिक अधिकारों के हनन के रूप में देखा जाता है। भारत एक धर्म निरप्रेक्ष देश है और यहाँ के हर नागरिक को पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद–25, 29, 30 इस वाद को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करता है। निश्चित रूप से आदिवासी एवं अल्पसंख्यक समुदाय जो अपनी धार्मिक एवं प्रथागत मान्यताओं से संचालित होते है उन पर समान नागरिक संहिता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

**समान नागरिक संहिता को लागू करने से पूर्व सुझाव**

इसमें कोई दोराय नहीं है कि समान नागरिक संहिता आज देश के लिए परम आवश्यक है। लेकिन हमें इसे लागू करने से पूर्व समाज के सभी वर्गों के सुझावों को दृष्टिगत रखना होगा। सरकार ने इस विषय पर देशवासियों से सुझाव मागें है। सरकार का कार्य है कि वह सर्व सम्मति के आधार पर समान नागरिक संहिता को लागू करें। यहाँ हम कुछ ऐसे ही सुझावों का उल्लेख करेंगे जो समान नागरिक संहिता को लागू करने में सहायक हो सकते है :–

- समान नागरिक संहिता को देश में लागू करने के लिए राजनीतिक दलों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से परे हटके सर्वसम्मति से देशहित में सोचने की आवश्यकता है।
- शुरूआत में नागरिकों को विकल्प दिये जाने चाहिए कि वे या तो समान नागरिक संहिता या उनके अपने व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित हो। व्यक्तिगत कानूनों को एक दम से समाप्त करना जोखिम भरा हो सकता है।
- सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध कर उनके रूढ़िवादी पहलूओं को रेखांकित कर भौतिक अधिकारों के आधार पर उनका परीक्षण किया जायें।
- भारत मे समान नागरिक संहिता के उद्देश्य को समझने के लिए लोगों को एक प्रगतिशील एवं खुले विचारों वाले दर्ष्टिकोण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- लोगों को इस विशय की अधिकाधिक समझ हो सके इसके लिए शिक्षा, ज्ञान एवं जागरुकता से सम्बंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए तथा इसके फायदे और नुकसान के बारे में लोगों को बताना चाहिए।
- इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी धार्मिक समुदायों की भावनाऐं आहत ना हों और सभी के हितों को दर्ष्टिगत रखते हुए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया जाये।

- ❖ हमारे देश के लिए सर्वोत्तम, तर्कसंगत और सभी के लिए स्वीकार्य समान नागरिक संहिता के लिए राश्ट्रीय एवं अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- ❖ प्रारम्भ में कुछ छोटे और समरूप राज्यों में समान नागरिक संहिता की शुरूआत की जानी चाहिए और फिर उन राज्यों से प्राप्त निश्कर्शों के आधार पर आगे की दिशा तय करनी चाहिए।

**निष्कर्ष**

निसंदेह भारत में एक समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन भारत को व्यक्तिगत मामलों मे भी धर्मनिरपेक्ष बनाने और एकीकष्त करने का श्रेश्ठ तरीका है। समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को दूर कर महिलाओं को न्याय दिलाने में इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। भारत विविध तापूर्ण देश है जहाँ अलग–अलग धर्मों एवं समुदायो के लोग रहते है। प्रथम दष्श्टाय देखा जाये तो ऐसे देश में समान नागरिक संहिता जैसे कानून का क्रियान्वयन बहुत कठिन प्रतीत होता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अखंड भारत की संकल्पना तभी सार्थक हो पायेगी जब हम देश में सभी के लिए एक समान कानून का निर्माण करेंगे। सैकड़ों वर्श पुरानी परम्पराऐं और रीति–रिवाज वर्तमान परिस्थितियों में अप्रसांगिक लगते है। आज समय है ऐसे रूढ़ीवादी, सामंती पुरूश प्रधानता को दर्शाने वाले व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर समान नागरिक संहिता कानून को देश में लागू करने का, जिससे भारत की न्याय प्रणाली में तो अभूतपूर्व बदलाव होगें ही साथ ही साथ राश्ट्र को एकीकष्त करने में भी यह कानून अहम योगदान देगा।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची


1. बरनवाल, अनूप. (2019). समान नागरिक संहिता (चुनौतियाँ और समाधान). लोकभारती प्रकाशनः नई दिल्ली।
2. (2021). समान नागरिक संहिता एक परिचर्चा. सुरुचि प्रकाशनः केशव कुंज, झण्डेवाला, नई दिल्ली।
3. खान, मौलाना वहीदुद्दीन. (2009). समान नागरिक संहिता, एक तर्कसंगत तथा सकारात्मक अध्ययन. गुडवर्ड बुक्सः नई दिल्ली।
4. चौहान, डा० सूची. (2021). समान नागरिक संहिता आज की आवश्यकता. ज्ञान गंगा प्रकाशनः शहादरा दिल्ली।
5. www.dristriias.com, समान नागरिक संहिता 20.11.2022
6. www.dristriias.com, समान नागरिक संहिता क्या है और इसके लागू होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुमार अचयूत. 10.12.2022
7. www.dristriias.com, समान नागरिक संहिता : एक आवश्यकता ?
8. www.Jansatta.com, रस्तोगी दीपक समान नागरिक संहिता : क्या है फायदे, कितने नुकसान, 04.07.2023